

विचार

कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम है देश में आतंकवाद

सुरक्षा बलों ने 4 अक्टूबर को नारायणपुर दंतेवाड़ा जेलों की सीमा पर 31 नक्सलियों को मार गिराया। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 24 साल बाद से किसी एक अभियान में माओवादियों आतंकियों की यह सर्वाधिक मौतों की संख्या है। इस घटना ने देश में आतंकवाद के खाव फिर से हरे कर दिए। देश में हर तरह की आतंकी वारदातें कांग्रेस के केंद्र और राज्यों में सत्ता में रहने के दौरान शुरू हुई। कांग्रेस की गलत नीतियों से ऐसी तकरंजित घटनाओं का परिणाम अभी तक देश भुगत रहा है। आतंकवाद चाहे जम्मू-कश्मीर का हो, नक्सलियों का, पूर्वोत्तर में या फिर पंजाब में खालिस्तान का रहा ही, देश ने कांग्रेस की गलतियों की भारी कीमत चुकाई है। इसी तरह दशकों तक तीन राज्यों में व्याप रहा चंबल की बीड़ों में डकैतों के अपराधों का काला इतिहास भी कांग्रेस के शासन के दौरान लिखा गया। सर्वाधिक आश्र्य यह है कि कांग्रेस ने इन गलतियों से सबक नहीं लिया। आतंकवाद चाहे जम्मू-कश्मीर में हो या फिर नक्सलियों का हो कांग्रेस ने कभी भी केंद्र की मोदी सरकार की तरह सख्ती नहीं देखाई। इसके विपरीत कांग्रेस का रवैया वोट बैंक की राजनीति के कारण आतंक समर्थकों के प्रति सहानुभूति का रहा है। लापरवाही और उपेक्षापूर्ण नीतियों के साथ ही राजनीतिक फायदे के लिए की गई आतंकवाद की अवहेलना की कीमत कांग्रेस ने भी चुकाई है। 25 मई 2013 को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नक्सली विद्रोहियों ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में दरभा घाटी के झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया। इस हमले में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वेद्या चरण शुक्ला, पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र कर्मा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रमुख नंद कुमार पटेल की मौत हो गई। कांग्रेस के केंद्र और राज्यों में शासन के दौरान ही नीनों तरह का आतंक पनपा है। इसमें चंबल में डकैतों का काफी हद तक सफाया हो गया। जम्मू-कश्मीर में याक परस्त और देश के कुछ राज्यों में नक्सली आतंक अब तेजी सीमिट रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार दोनों तरह के आतंकियों पर काफी हद तक लगाम लगाने में कामयाब रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि 2026 नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। शाह ने कहा कि 30 साल के बाद पहली बार वामपंथी उग्रवाद से मरने वाले लोगों की संख्या 100 से कम रही है। हिंसा की घटनाओं में करीब 53 कीसद की कमी आई है। नक्सली हिंसा से प्रभावित जेलों की संख्या 96 की जगह 42 जिले तक सीमित रह गई हैं। इन 42 जिलों में से 21 जिले नए बने हैं। इनमें से करीब 16 जिले ही नक्सल हिंसा से प्रभावित हैं। देश की सुरक्षा से संबंधित कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम सिर्फ देश की आम अवाम को नहीं बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार को भी भुगतना पड़ रहा है। केंद्र सरकार को आतंकियों से निपटने के लिए न सिर्फ करोड़ों रुपए बहाने पड़ रहे हैं, बल्कि पुलिस और सुरक्षा बलों को काफी मानवीय श्रति उतानी पड़ी है।

खुली आँखों से समानता के साथ न्याय करने का संदेश

ललित गर्ग

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड ने भारतीय न्याय प्रणाली की अनेक विसंगतियों एवं विषमताओं को दूर करते हुए अब न्याय की देवी की मूर्ति की आँखों से काली पट्टी हटा दी गई है। इसके साथ ही मूर्ति की हाथ में तलवार की जगह संविधान ने ले ली है। यह कानून को सर्वद्रष्टा एवं भारतीयता का रंग देने की एक सार्थक एवं समयोगित पहल है। सांकेतिक रूप से देखा जाए तो कुछ महीने पहले लगी न्याय की देवी की नई मूर्ति साफ संदेश दे रही है कि न्याय अंधा नहीं है और वह संविधान के आधार पर काम करता है। इस सराहनीय कदम के बावजूद एक बड़ा सवाल है कि या मूर्ति की आँखों से पट्टी हटा देने का असर कानूनी प्रक्रिया पर पड़ेगा?



भारत में न्याय प्रणाली पर आम धारणा है कि पुलिस और अदालतें लोगों की जिंदगी को तबाह कर देती हैं, वर्षों लम्बी न्याय प्रक्रिया झेलने के बाद भी लोगों को समुचित न्याय नहीं मिल पाता है। न्याय में देरी न्याय के सिद्धांत से विमुखता है, न्याय प्राप्त करना और इसे समय से प्राप्त करना किसी भी आदर्श न्याय व्यवस्था में आम व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार होता है। लेकिन यह स्थिति कब बनेगी? क्या न्याय की देवी की मूर्ति में परिवर्तन करने से न्याय प्रक्रिया में कुछ बदलाव हो सकता है? खुली आंखों से समानता के साथ न्याय करने का संदेश देने वाला यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट की जजों की लाइब्रेरी में लगी न्याय की देवी की प्रतिमा में हुआ है। इस प्रतिमा में न्याय की देवी को भारतीय वेषभूषा में दर्शाया गया है। वह साड़ी में दर्शाई गई हैं। सिर पर सुंदर का मुकुट भी है। माथे पर बिंदी, कान और गले में पारंपरिक आभूषण भी नजर आ रहे हैं। जो प्रतीकात्मकता में बदलाव का संकेत है और भारत में न्याय की उभरती भावना को दर्शाता है। लेकिन नई प्रतिमा जिन मूल्यों एवं मानकों की ओर इशारा कर रही है, क्या उसे समझने एवं देखने की हमारी तैयारी है? अगर इस प्रतीकात्मक बदलाव के मूल उद्देश्य को हम नहीं समझ पायेंगे तो यह बदलाव भी अर्थहीन ही होगा। निश्चित ही प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट और न्याय व्यवस्था पारदर्शिता की ओर कदम बढ़ा रही है। लगातार यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि न्याय सभी के लिए है, न्याय के समक्ष सब बराबर हैं और कानून अब अंधा नहीं है। अब न्याय की देवी के एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में पुस्तक है जो सर्वधान जैसी दिखती है।

यह सर्वविदित एवं लोगों में आम धारणा है कि थाना-पुलिस और कोर्ट-कचहरी का चक्कर लगा-लगा कर आम आदमी की जिंदगी तबाह हो रही है, तब मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाकर भला क्या सुधर जाना है? न्याय की देवी को सच में आंखें देनी हैं तो कानून में आमूल-चूल परिवर्तन, त्वरिता, समयबद्धता एवं समानता की जरूरत होगी। यह तो चीफ जस्टिस भी जानते हैं। आखिर किसे नहीं पता कि इस देश में सड़क से लेकर अदालत तक, हर जगह कानून की धज्जियां उड़ती हैं और न्याय की देवी यू ही स्टैच्यू बनी रहती हैं। कोई हरकत नहीं, बिल्कुल संवेदनहीन। सड़कों पर कानून तमाशबीन बनकर खड़ा है, थाने में वह उगाही और उत्पीड़न का अस्त्र बना है तो अदालतों में दलीलों और तारीखों की बेंहत्ता ऊबाल प्रक्रिया का जटिल हिस्सा है, जिसकी जकड़न में गए तो खेर नहीं। अब तक अंधे कानून की त्रासदी न्याय की देवी देख नहीं पाती थीं, अब वो खुली आंखों से सब देखेंगी। कम-से-कम उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि देख पाने के कारण न्याय की देवी की मूर्ति में भी संवेदना जग जाए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने वार्कर्ड अच्छी

पहल की है, उसका स्वागत होना चाहिए

1983 को एक फिल्म अंधा कानून रिलीज हुई थी। इस फिल्म एवं इसके गाने में कोर्ट-कचहरी, वकील-दलील, सुनवाई-फैसले के हालात को शब्द दिए गये हैं। कहा गया कि अस्मते लुटीं, चली गोली, इसने आँख नहीं खोली। फिर गीत कहता है— लंबे इसके हाथ सही, ताकत इसके साथ सही। पर ये देख नहीं सकता, ये बिन देखे हैं लिखता। इस तरह फिल्म कानून को अंधा बताती है। स्थिति यह है कि आज भी न्यायालयों में यह चर्चा अमूमन होती है कि अदालत में पेश होने वाले अभियोजन या अभियोग पक्ष के रुतबे को देखकर न्याय प्रभावित हो जाता है। लेकिन उस समय की मूर्ति की मूल भावना कहां और कितनी प्रभावी रही है, यह सर्वविदित है। अब नयी संशोधित प्रतिमा का संदेश है कि देश में न्याय अंधा नहीं है, वह इस बात पर जोर देती है कि भारत में न्याय दूरदर्शिता और समानता के साथ काम करता है। जो संतुलन और निष्पक्षता का प्रतीक है—यह दर्शाता है कि न्यायालय किसी निर्णय पर पहुँचने से पहले सभी पक्षों से तथ्यों और तर्कों को तौलता है। इसका मतलब है कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं, इसमें न पैसे वाले का महत्व, न रुतबा, ताकत और हैसियत को महत्व दिया जाता है।

न्याय की देवी, जिसे हम अक्सर अदालतों में देखते हैं, असल में यूनान की देवी हैं। उनका नाम जस्टिया है और उन्हीं के नाम से 'जस्टिस' शब्द आया है। उनकी आंखों पर बंधी पट्टी दिखाती है कि न्याय हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज अफसर पहली बार इस मूर्ति को भारत लाए थे। यह अफसर एक न्यायालय अधिकारी थे। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के दौरान न्याय की देवी की मूर्ति का सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल होने लगा। भारत की आजादी के बाद भी हमने इस प्रतीक को अपनाया। यह बदलाव औपनिवेशिक शासन के अवशेषों को हटाने के अन्य प्रयासों को दर्शाता है, भारत गुलामी के सभी संकेतों से बाहर निकलना चाहता है। जैसे कि हाल ही में आपराधिक कानूनों में बदलाव, भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता को लागू करना है।

यहां नई मूर्ति के नें संकेतों का अर्थ गहराई से समझना भी जरूरी है। न्याय समाज में संतुलन का प्रतिनिधित्व करें, न्यायिक संचालन-प्रक्रिया सांविधानिक प्रावधानों के अनुरूप चले। सबको समान रूप से देखें। हम न्याय की देवी द्वारा इंगित मूल्यों में संजीदगी दिखाये। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर भारतीय न्याय-व्यवस्था को लेकर आम धारणा इतनी कट्टु क्यों है? यह क्यों माना जाता है कि यहां न्याय देर से मिलता है, जबकि अदालतों में तारीखें अनवरत मिलती रहती हैं? जिस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की वकालत की गई है, उसे वास्तविक अर्थों में साकार करने में हम अब तक क्यों विफल रहे हैं? जब तक इन सवालों के उचित जवाब हम नहीं खोज लेते हैं, तब तक न्याय की देवी के प्रतीक-चिह्नों की सार्थकता कठघरे में खड़ी की जाती रहेगी। असल में, प्रतीक-चिह्न एक पहचान के रूप में काम करते हैं। इन प्रतीक-चिह्नों से जो प्रतीकात्मक अर्थ निकल रहा है, वह हर हाल में साकार हो। भारतीय अदालतें इस मामले में उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतर सकी हैं। लिहाजा, इन संकेतों के सार्थक होने के लिए हमें कुछ अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। न्याय में देर करना अन्याय है। भारत की न्यायप्रणाली इस मायने में अन्यायपूर्ण कही जा सकती है, क्योंकि भारत की जेलों में 76 प्रतिशत कैदी ऐसे हैं, जिनका अपराध अभी तय नहीं हुआ है और वे दो दशक से अधिक समय से जेलों में नारकीय जीवन जीते हुए न्याय होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आजादी का अमृत महात्सव मनाते हुए न्यायप्रणाली की धीमी रफतार को गति देकर ही ऐसे विचाराधीन कैदियों के साथ न्याय देना संभव है और इसी से सशक्त भारत का निर्माण होगा और प्रतीकात्मक प्रतीक चिह्नों में बदलाव का कोई सार्थक उपयोग एवं असर होगा। भारत को अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थिति और अपने गौरवपूर्ण इतिहास बोध के अनुसार एक वैकल्पिक न्याय तत्र भी स्थापित करना चाहिए, किंतु जब तक यह नहीं होता वर्तमान व्यवस्था में ही कुछ आवश्यक सुधार करके हमें इसे समसामयिक, तीक्ष्ण, समयबद्ध और उपयोगी बनाए रखना चाहिए। न्याय सिफ होना ही नहीं चाहिये बल्कि होते हुए दिखाना भी चाहिये। भारत की सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण होना चाहिए।

रखी फसलों के एमएसपी की घोषणा, बाजारी ताकतों पर नियंत्रण जरुरी

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

बुवाई से पहले या बुवाई के समय फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है कि किसानों को कौन सी फसल लेना लाभकारी रहेगा इस पर सोच विचार कर निर्णय करने का अवसर मिल जाता है। पिछले कुछ सालों से केन्द्र सरकार द्वारा खरीफ हो या रबी लगभग इनके बुवाई के समय ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी जाती है। इसे सरकार की सकारात्मक पहल भी कहा जा सकता है। केन्द्र सरकार ने रबी सीजन की गेहूं, सरसों सहित छह प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। एमएसपी की घोषणा करते समय यह भी दावा किया गया है कि इन सभी छहों फसलों के एमएसपी का निर्धारण लागत से अधिक किया गया है जिससे किसानों के लिए यह फसलें लाभकारी सिद्ध हो सके। दावों की माने तो लागत की तुलना में सर्वाधिक 105 प्रतिशत अधिक एमएसपी गेहूं की घोषित की गई है, सबसे कम कुमुम की लागत से 50 प्रतिशत अधिक है तो चना और जौ की लागत से 60 फीसदी अधिक घोषित की गई है। सरसों की लागत से 98 फीसदी तो मसूर की 89 प्रतिशत अधिक राशि तय की गई है। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि लागत की तुलना में सभी छह फसलों की एमएसपी दरों में उल्लेखनीय बढ़तरी की गई है। एमएसपी की घोषणा करते समय सरकार ने लागत में खाद-बीज, कीटनाशक, सिंचाई पर व्यय के साथ ही मानव श्रम का भी समावेश किया गया है। ऐसे में लागत से अधिक राशि मिलना किसानों के लिए लाभकारी हो सकता है।



दुर्भाग्य की बात यह है कि पारदर्शी व्यवस्था में भी बिचौलियों ने सेंध लगा ली है और लाख प्रयासों के बावजूद छोटे किसानों को सब तो नहीं पर कुछ काश्तकारों को व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पाता। इसमें व्यवस्था का दोष इस मायने में है कि किसान को अपनी तात्कालीक व आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए साहूकार पर निर्भर रहना पड़ता है, ऐसे में काश्तकार अपनी फसल काश्तकार के नाम कर उससे अग्रिम राषि ले लेता है और बदले में काश्तकार के दस्तावेज से बिचौलियें लाभ उठा लेते हैं।

यह तो साफ़ है कि गोदां और धान की खरीद

सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर की जाती रही है औ इसका प्रमुख कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली वे तहत वितरण व्यवस्था के सुचारू संचालन औ बाजार पर नियंत्रण रखना रहा है। अन्य फसलों के जहां तक सवाल है देश के अधिकांश प्रदेशों में खाद्यान्नों की खरीद एफसीआई द्वारा राज्यों वे मार्केटिंग फैडरेशनों के माध्यम से सहायता संस्थाओं द्वारा व तिलहनों और दलहनों की खरीद नैफड द्वारा भी इसी व्यवस्था के तहत किया जाता रहा है। एक समय था जब न्यूनतम खरीद आरंभ होते ही मण्डी में भी भावों में तेजी आने लगती थी पर अब ऐसा नहीं हो रहा है दूसरे कामगार क्षमा है।

इस पर विचार करना

इस पर विवार करता है। दरअसल बिचौलियों ने एमएसपी खरीद व्यवस्था में सेंध लगा दी है। किसान से ही खरीद और ऑनलाइन व्यवस्था के बावजूद इस व्यवस्था का लाभ बिचौलिएं अधिक उठाने लगे हैं। सबाल यह है कि केन्द्र व राज्य सरकारें एमएसपी व्यवस्था को फूलफूफ बनाना सुनिश्चित कर दे और सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से मण्डलियों में भाव नीचे जाते ही तत्काल खरीद आंभ हो जाएं तो निश्चित रूप से अन्नदाता को इस व्यवस्था का पूरा पूरा लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही इस व्यवस्था में जिस तरह से सेंध लगाई गई है उसे रोकने के भी ठोस प्रयास किए जाने आवश्यक है। कहीं ना कहीं एक बार फिर से बाजार व्यवस्था का भी अध्ययन करना होगा। क्यों खरीद बंद होने के कुछ समय बाद ही जिसों के भाव बढ़ने लगते हैं। हाल ही में गेहूं के भावों में बढ़ोतारी और हर साल एक समय विशेष पर आलू, प्याज, टमाटर के भाव का बढ़ जाना कहीं ना कहीं यह बताता है कि कमोबेस बाजार ताकतें अधिक शक्तिशाली हैं और वे ही डोमिनेट करती हैं।

इसलिए एक और जहां एमएसपी की खरीद व्यवस्था में सुधार व किसानों को ही वास्तविक लाभ मिले इसके प्रयास करने की आवश्यकता है उसी तरह से बाजार की ताकतों पर भी नजर रखना जरुरी हो जाता है ताकि एक और तो काश्तकार को ठगा महसूस करने से बचाया जा सके और आम नागरिक भी ठगा हुआ महसूस ना कर सके। कहीं ना कहीं बाजार पर सरकार के नियंत्रण की आवश्यकता है नाकि बाजारु ताकतों के हाथ में छोड़ने की। ऐसा होने पर ही सही मायने में

